



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238516  
CG-DL-E-01092022-238516

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]  
No. 419]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

फा.सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017(भाग-3).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2021 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017(भाग-3), तारीख 06 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 08 सितम्बर, 2021 को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

### विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये तारीख 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा) के,-

(1) विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.14 में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

“कोई व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन चिह्न के अधीन, जहाँ भी बीआईएस मानक उपलब्ध हों, के सिवाय शिशु पोषण के लिए खाद्य का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./239/2022-23]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, तारीख 01 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

1. फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013;
2. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
3. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एफ एवं बीपी/अधिसूचना (02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;
4. फा. सं. 1(1)/मानक/एम.एम.पी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
5. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
6. फा. सं. मानक /साल्ट/एमआईएससी (01)/ एफएसएसएआई-2016 (पीटी-1), तारीख 25 जून, 2019
7. फा. सं. मानक/सहयोज्य/2-अधिसूचना/एफएसएसएआई-2018, तारीख 25 जून, 2019;
8. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सहयोज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020;
9. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, तारीख 20 अक्टूबर, 2020;
10. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एंड अफ/नोटिफिकेशन(12) एफएसएसएआई-2019, तारीख 26 अक्टूबर, 2020;
11. फा. सं. विनियम/स्टैंडर्ड्स-केसरी दाल/ एफएसएसएआई-2020, तारीख 12 जनवरी, 2021;
12. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एंड अफ/नोटिफिकेशन(13) एफएसएसएआई-2019, तारीख 02 फरवरी, 2021; और
13. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-15/टी(टी(आईएमएसटी), तारीख 8 मार्च, 2021।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2022

**F. No. Stds./03/Notification(IFR)/FSSAI-2017(part-3).**—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2021, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India, F.No. Stds./03/Notification(IFR)/FSSAI-2017(part-3), published in the Gazette of India, Extraordinary, part III, Section 4, dated the 06<sup>th</sup> September, 2021 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the

expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the **08<sup>th</sup> September, 2021**;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely: -

### Regulations

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) First Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on 1<sup>st</sup> April, 2023.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 (hereinafter referred as said regulations), -

(1) in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.14, for clause (4), the following shall be substituted, namely: -

“No person shall manufacture, sell, store or exhibit for sale food for infant nutrition, except under Bureau of Indian Standards (BIS) Certification Mark, wherever BIS standards available”.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./239/2022-23]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 01<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F. No. 4/15015/30/2011, dated the 08<sup>th</sup> February, 2013;
2. F. No. Stds./O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23<sup>rd</sup> August, 2016;
3. F. No. Stds./F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23<sup>rd</sup> August, 2016;
4. F. No. A-1 (1)/Standards/MMP/2012, dated the 12<sup>th</sup> October, 2017;
5. F. No. Stds./O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31<sup>st</sup> July, 2018;
6. F. No. Stds./Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25<sup>th</sup> June, 2019;
7. F. No. Stds./Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25<sup>th</sup> June, 2019;
8. F. No. Stds./Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated the 21<sup>st</sup> July, 2020;
9. F. No. Stds./Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated the 20<sup>th</sup> October, 2020;
10. F. No. Stds./O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated the 26<sup>th</sup> October, 2020;
11. F. No. Reg/Stds.-Khesari dal/FSSAI-2020, dated the 12<sup>th</sup> January, 2021;
12. F. No. Stds./O&F/Notification(13)/FSSAI-2019, dated the 02<sup>nd</sup> February, 2021; and
13. F. No. Stds./SP-15/T[T(IMST)], dated the 08<sup>th</sup> March, 2021.